न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर –मसूदा जिला अजमेर राज0

राजस्व मु0नं0 42/2013

1. श्री सूरज पुत्र समदा जाति– मेहरात निवासी– पोलू का चौड़ा पुलिया मसूदा तहसील–मसूदा जिला अजमेर ।

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. श्रीमति काली पत्नी स्व0 श्री राजू
2. रामदेव नाबालिग स्व0 राजू
3. गणेश नाबालिग पुत्र स्व0 राजू
4. रेखा नाबालिग पुत्री स्व0 राजू
5. नाबालिगान जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमति काली पत्नि स्वर्गीय श्री राजू समस्त जाति– गुर्जर निवासीयान– तेजा चौक ,बस स्टेण्ड मसूदा
6. राजस्थान सरकार जरिये भूधारक श्रीमान तहसीलदार एंव उपंपजीयक अधिकारी –मसूदा जिला अजमेर ।

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना –पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :– दिनांक :– 13-7-2015

पत्रावली आज मेघा लोक अदालत केम्प मसूदा पर पेश हुई । पक्षकारान उपस्थित । उन्होने लोक अदालत की भावना से परस्पर समझौता कर समझौता पत्र पेश किया । मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि पत्रावली पर सर्व श्री मंगला , सम्पत ,सोहन पिता सम्मा व मदन , भोजा , लादू पिता कम्मा व भॅवर पुत्र मंगला सभी जाति – चीता निवासीगण चीता का बाड़िया (पोलू का चौड़ा) मसूदा की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रकिया संहिता मे यह कथन करते हुए पेश किया कि विवादित भूमि में उनके कब्रस्तान है जिसमे उनके बुजुर्गन की 25–30 कब्रे है। व 20 फीट चौड़ा रास्ता तथा हेडपम्प लगा हुआ है। इस आराजी को 100 वर्षो से कब्रस्तान के उपयोग मे लेते आये है। हमारा विवादित आराजी में उपयोग उपभोग चला आता है।पटवारी ,गिरदावर ने भी अपनी जॉच रिपोर्ट में सही पाया है तथा हमारे पक्ष में स्टे मिला हुआ है। अतः हमें विचाराधीन वाद में पक्षकार बनाया जावें।

जवाब प्रार्थना–पत्र में प्रार्थना पत्र कथनों से इन्कारी करते हुए प्रतिवादी सं0 1 ने निवेदन किया है कि प्रार्थना–पत्र कपोल कथित कथनो पर लाया गया है। प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी

का कोई कब्जा नही है ना ही विवादित आराजी में कोई कब्रस्तान व हेडपम्प तथा बीस फिट का रास्ता है। प्रार्थीगण को पक्षकार बनाने पर कानूनी पेचदगिया बढेगी । अतः प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त किया जावें।

मैनें उपस्थित पक्षकारान को सुना और राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया । ग्राम मसूदा की जमाबंदी सं0 2066 से 2069 के खाता सं0 937 , ख0न0 925/2 के 10 बीघा भूमि में श्रीमति काली बेवा राजू व रामेदव , गणेश , रेखा नाबालिग बजरिये बसर राही माता श्रीमति काली बेवा राजू जाति गुर्जर खातेदार है। वही दिनांक 27.7.2007 की भू0अ0नि0 मसूदा की रिपोर्ट की छाया प्रति भी अभिलेख पर है। जिसमे विवादित भूमि के पूर्व दिशा की ओर ब्यावर मसूदा मार्ग से पोलू का चौड़ा जाने वाली सडक की पूर्व दिशा मे लगभग 3 बीघा भूमि में चीता समाज के कब्रस्तान के रूप में काम ली जा रही है। विवादित भूमि की किस्म बारानी 3 है। किस्म यथावत है जबकि भूदान यज्ञ बोर्ड से मुक्ति आदेश में इस परिवर्तित नही किया गया है। ऐसी स्थिति में इसमे कब्रस्तान होना मान्य नही है। प्रार्थीगण विवादित भूमि में किसी प्रकार से हितबद्व पक्षकार नही पाये जाते है।

तथा ना ही प्रकरण में किसी प्रकार से आवश्यक पक्षकार है। प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी पर उनके उपयोग उपभोग संबधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण **O1R10** स्वीकार योग्य नही पाया जाता है। अतः सव्यय निरस्त किया जाता है।

समझौते से पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया जाना उपस्थित पक्षकारान ने स्वीकार किया जिनकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत –मसूदा एंव लोक अदालत के सदस्यो द्वारा की गई । चूकिं पक्षकारान के मध्य आपस में प्रकरण की विषय वस्तु बाबत राजीनामा हो गया है साथ ही वादी ने यह भी निवेदन किया है कि वह वाद को आगे नही चलाना चाहता है।

चूकिं वादी ही जब अपने वाद को आगे नही चलाना चाहता है तो इस वाद की कार्यवाही स्वतः ही समाप्त हो जाती है।प्रकरण में राजीनामा हो गया । अतः वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.7.2015 को लोक अदालत में सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मसूदा (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.26 16:39:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: